सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली-110001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-06 के तहत आवेदन-पत्र :-

महोदय,

कृपया हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा आजादी के बाद से अब-तक क्या कार्यवाहियाँ की गयी है, उसकी (अभिलेख की) नोटशीट सहित सत्यापित प्रतियाँ प्रदान करें, व यह भी बताने की कृपा करें कि क्या मात्र 82,00,000,00/-रु0 (बयासी करोड़ रु0) नहीं खर्च करने के कारण से हिन्दी जो हिन्दुस्तान की मातृभाषा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं बन पायी है।

संलग्नक :-

1- 10/-रु0 मूल्य का भारतीय पोस्टल आर्डर
संख्या- 20F 388056
भेज रहा हूँ।

धन्यवाद।

दिनांक 20.09.2014

प्रेषक,
विनय कुमार पाण्डेय
एडवोकेट,
सिविल कोर्ट गोलम्बर के पूरब
जिला-महराजगंज (उत्तरप्रदेश)
पिन कोड नं0-273303
मो0नं0-9839924605

Dy. No. 8685 Director (ADP)
दिनांक/Date 20-11-14
55/15

स्पीड पोस्ट द्वारा/आर.टी.आई. मामला

US(RTI)

सं0 16034/73/2014-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

24/12/01/2015

एन.डी.सी.सी. भवन-II, 'बी' विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक 13 नवम्बर, 2014

सेवा में,

श्री विनय कुमार पाण्डेय,
एडवोकेट, सिविल कोर्ट (गोलम्बर के पूरब)
जिला- महराजगंज (उत्तर प्रदेश)
पिन कोड नं0- 273303

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री विनय कुमार पाण्डेय का आवेदन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके द्वारा दिनांक 20.9.2014 के आरटीआई आवेदन जोकि आपने राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा था वह आवेदन उप सचिव (ई) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के का.ज्ञा.सं.ए-43020/1/2014-आरटीआई दिनांक 24.10.2014 के द्वारा नीति अनुभाग, राजभाषा विभाग में दिनांक 29.10.2014 को हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की अधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ।

2. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की अधिकारिक भाषा बनाने का संबंध राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है । इसका संबंध शायद विदेश मंत्रालय से हो सकता है । अत: आपके आवेदन की प्रति को विदेश मंत्रालय में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अन्तरित करके भेजा जा रहा है ।

4. यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप श्री हरिन्दर कुमार, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं निदेशक (कार्या.एवं नीति), राजभाषा विभाग, एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, बी विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1 को अपील कर सकते हैं।

संलग्न: यथोपरी

13/11/2014

(ओ.पी.सिंह)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी(नीति)

Forward the RTI to US(UNP) (Dr. Saxena)

प्रतिलिपि:

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं निदेशक (राजभाषा), विदेश मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू भवन, जनपथ रोड, नई दिल्ली को आवेदक को सूचना प्रदान करने के संबंध में । आरटीआई आवेदन संलग्न है ।
2. उप सचिव (ई) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके का.ज्ञा.सं.ए-43020/1/2014-आरटीआई दिनांक 24.10.2014 के संदर्भ में

विदेश मंत्रालय
संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक प्रभाग
***

सं.: U.II/551/09/2015 **दिनॉकः 13 जनवरी 2015**

सेवा में,

श्री विनय कुमार पाण्डेय,
एडवोकेट
सिविल कोर्ट (गोलम्बर के पूरब)
जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश 273303

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित आर टी आई प्रार्थना पत्र सं शून्य दिनॉकित **20** सितंबर **2014** का संदर्भ ग्रहण करें जो कि इस प्रभाग मे **12** जनवरी **2015** को प्राप्त हुआ है।
उपरोक्त पत्र में मांगी गई जानकारी निम्नवत है ।

1 संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नई भाषा को शामिल करने के लिए उसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया जाता है । उपरोक्त प्रस्ताव के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सामान्य बहुमत से अंगीकार किए जाने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र सचिवालय इसके वित्तीय प्रभावों का मूल्यांकन प्रोग्राम बजट इम्पलीकेशन (पी बी आई) के माध्यम से करता है ।इसके पश्चात इसका विश्लेषण ए सी ए बी क्यू (एडवाइजरी कमेटी आन एडमिनिस्ट्रेटिव एण्ड बज़टरी क्वेश्चन्स) करती है तथा इसका अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र की पॉचवी समिति (फिफ्थ कमेटी) द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात महासभा मुख्य प्रस्ताव एवं पी बी आई प्रस्तावों को स्वीकार करती है ।ऐसे प्रस्ताव जिनका वित्तीय प्रभाव होता है को पास करने के लिए सामान्यत: सर्वमत की आवश्यकता होती है । यद्यपि सदस्य देशों में मतैक्य न होने पर यह दो तिहाई बहुमत से पास किया जाता है ।संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान सदस्य संख्या के अनुसार दो तिहाई बहुमत के लिए **129** सदस्य देशों के सर्मथन की आवश्यकता होगी।

2 संयुक्त राष्ट्र के बजट में होने वाली वृद्धि सदस्य देश पूर्व निर्धारित आनुपाातिक आधार पर वहन करते हैं।यहॉ ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि हिन्दी के संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनने में भारत पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों का महत्त्व गौण है ।मुख्य प्रश्न यह है कि हमें इस प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त होगा ।

3 सामान्यत: संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नए प्रस्ताव के लाए जाने से पूर्व सदस्य देशों से औपचारिक अथवा अनौपचारिक सहमति ली जाती है ।सदस्य देश ऐसे प्रस्तावों का सर्मथन करने में अनिच्छा प्रकट करते हैं जिनमें उन पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभार पड़ता है। अत: हिन्दी की स्वीकार्यता विश्व स्तर पर सार्वभौमिक भाषा के रूप में बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है व इस दिशा में सतत प्रयास किए हैं । विदेश मंत्रालय के राजभाषा/हिन्दी प्रभाग ने विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन किया है। अब तक नौ विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किए जा चुकें हैं ।भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र अपने साप्ताहिक कार्यकमों का प्रसारण हिन्दी में भी करता है जो कि संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर सुने जा सकते हैं ।इसके अतिरिक्त भारत के शीर्ष नेताओं ने

विश्व स्तर पर हिन्दी के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने एवं विश्वदृष्टि में हिन्दी का महत्व लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण हिन्दी भाषा मे दिये हैं ।

4 यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नही है तो इससे सम्बन्धित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष संख्या 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय. नई दिल्ली-110011, फोन – 011 49018413 व फैक्स 011 49018412 को भेजी जा सकती है ।

भवदीय

(डा. शैलेन्द्र कुमार सक्सेना)
अवर सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक प्रभाग,
कक्ष संख्या 0160, जवाहर लाल नेहरू भवन
विदेश मंत्रालय 23 डी जनपथ नई दिल्ली 110011.
फोन: 011 49018408

प्रतिलिपि:-

1 अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को सूचनार्थ